रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 1974/ज्येष्ठ 14, 1896

No 136] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 1974/JYAISTHA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTAY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June 1974

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking Over of Management) Act, 1973 (57 of 1973), the Central Government hereby specifies that the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the Burn and Company Limited and the Indian Standard Wagon Company Limited subject to the exception that section 175 thereof shall not apply to the said companies, and directs that the Chairman of a general meeting of the said companies shall be a person nominated by the Central Government by notification in the Official Gazette.

[No. F. 1-6/73-HM.II]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

[अधिसूचना]

(ई दिल्ली, 4 जून, 1974]

का० आ० सं० 257 (अ).—बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 57) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड को इस अपवाद के अधीन लागू होना जारी रहेगा कि उसकी धारा 175 उक्त कम्पनियों को लागू नहीं होगी, और केन्द्रीय सरकार यह निदेश करती है कि उक्त कम्पनियों के साधारण अधिवेशन का सभापति वह व्यक्ति होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

[सं० फा० 1-6/73-एच० एम० II]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974